

प्रशिक्षण केंद्र 2015-16

दक्षिण क्षेत्रीय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र इरोड

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

एनडीडीबी ने दक्षिण क्षेत्र में डेरी विकास गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 1980 में दक्षिण क्षेत्रीय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र (एसआरडीटीसी) की स्थापना की थी । इसके आरंभ से केंद्र द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में एनजीओ सहित विभिन्न दूध संघों, सरकारी विभागों से लगभग 22329 कार्मिक शामिल हुए ।

प्रत्येक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम ग्राहक संस्थाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है । एसआरडीटीसी डेरी क्षेत्र में हो रहे विकास और प्रतिभागियों एवं ग्राहक संस्थाओं से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशिक्षण को अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रयासरत रही है । एसआरडीटीसी ने इस वर्ष के दौरान भी विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करने के अपने प्रयास को जारी रखा है ।

पाठ्यक्रम

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिद्धांत, प्रयोग, क्षेत्र दौरे, समूह चर्चाएं, भूमिका अदा करना (रोल प्ले), खेल, श्रव्य-दृश्य शो इत्यादि का मिला-जुला रूप शामिल है । केंद्र नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त एसआरडीटीसी विभिन्न संगठनों की विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कस्टमाइज्ड कार्यक्रम का भी आयोजन करता है ।

सुविधाएं

एसआरडीटीसी सीखने के लिए अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराती है तथा इसमें योग्य एवं अनुभवी शिक्षक भी हैं । केंद्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी आवश्यक साधन उपलब्ध हैं । प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधुनिक शिक्षण सहायता सामग्री तथा प्रदर्शन यूनिट का प्रयोग किया जाता है । आवास एवं भोजन की सुविधाएं परिसर के भीतर ही दी गई हैं । मनोरंजन सुविधाएं जैसे कि केबल टीवी, इंडोर और आउटडोर गेम, पुस्तकालय इत्यादि भी उपलब्ध हैं ।

दक्षिण क्षेत्रीय प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केंद्र (एसआरडीटीसी), इरोड राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 कोयम्बतूर सेलम बायपास रोड पर स्थित है तथा इरोड दूध संघ के समीप है । एसआरडीटीसी रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है । केंद्र इरोड शहर से 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ।

अधिक जानकारी के कृपया संपर्क करें:

प्राचार्य

दक्षिण क्षेत्रीय प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केंद्र

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

वसावी कॉलेज (पोस्ट)

इरोड – 638 316

तमिलनाडु

दूरभाष: (0424) 2533564, (0424) 2533584

फैक्स: (0424) 2534629

E-mail: erode@nddb.coop

कार्यक्रम 2015-16

(01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016)

कार्यक्रम का शीर्षक	कृत्रिम गर्भाधान (एआई) बेसिक	गैर एनडीपी के अंतर्गत किसान प्रवेश कार्यक्रम (एफआईपी)	कृत्रिम गर्भाधान (संदर्भ एआई) पर पुनश्चर्या कार्यक्रम
कार्यक्रम का उद्देश्य	निम्नलिखित में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना: <ul style="list-style-type: none"> गुणवत्ता एआई पद्धति हेतु एआई तकनीक सीखना ताकि गाय तथा भैंसों की आनुवंशिक क्षमता को बेहतर बनाया जा सके 	निम्नलिखित में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना: <ul style="list-style-type: none"> डेरी फार्म प्रबंधन पद्धति की जानकारी प्राप्त करना 	निम्नलिखित में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना: <ul style="list-style-type: none"> फील्ड में आने वाली समस्याओं को पहचानना और उनको हल करना । उत्पादन के क्षेत्र में अद्यतन तकनीकी जानकारी प्राप्त करना प्रजनन संबंधी विकारों का निदान कर पशुओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाना
अवधि	45*दिन	6 दिन	5 दिन
लक्ष्य प्रतिभागी	दसवीं पास ग्रामीण युवा	दूध उत्पादक /किसान/बेरोजगार युवा/एसएचजी सदस्य	कार्यरत एआई तकनीशियन ।
कार्यक्रम शुल्क	रु. 15,390	रु. 5,472	रु. 1,710
पाठ्यक्रम विषय-वस्तु का संक्षिप्त विवरण	<ul style="list-style-type: none"> कृत्रिम गर्भाधान (एआई) का इतिहास 	<ul style="list-style-type: none"> गाय एवं भैंसों की नस्लें डेरी पशुओं का आवास 	<ul style="list-style-type: none"> मूल्यांकन सत्र भारत में पशुधन सुधार में एआई

	<ul style="list-style-type: none"> • प्रजनन अंगों का शरीर क्रिया विज्ञान (फीजियोलॉजी) • ईस्ट्रस साइकिल एवं गर्मी के लक्षण • एआई की तकनीक एवं समय • प्रसव • आदर्श ब्यांत चक्र (आइडियल काविंग साइकिल) • वीर्य के प्रकार • एलएन₂ कंटेनर एवं उनकी हैंडलिंग • बछड़े, गाभिन, शुष्क एवं दुधारू पशु की देखभाल एवं प्रबंधन • बछड़े के सींग को जलाना (डिस्बडिंग) • संतुलित आहार एवं चारा • चारा उत्पादन एवं उसका संरक्षण • यूरिया भूसा उपचार • आम संक्रामक रोग तथा इनकी रोकथाम एवं नियंत्रण • क्षेत्र दौरा एवं तकनीकी पर व्यावहारिक सत्र 	<ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न श्रेणियों के पशुओं का आहार • डेरी पशुओं के सामान्य रोग • टीकाकरण एवं डी-वार्मिंग (कृमिनाश) • दुहने का तरीका • थनैला की रोकथाम • गर्मी में होने की पहचान और एआई का समय • आहार एवं चारे की प्रभावी उपयोगिता को सुधारने के लिए विभिन्न तकनीकों का संक्षिप्त विवरण • पशु बीमा • राज्य के बाहर दो दिवसीय फील्ड दौरा 	<p>की भूमिका</p> <ul style="list-style-type: none"> • ईस्ट्रस के मुख्य लक्षणों को समझना • ईस्ट्रस साइकिल तथा इसका एंड्रोक्रोनोलॉजिकल रेगुलेशन • गलत गर्भाधान पर विचार-विमर्श • एआई करने के दौरान होने वाली सामान्य त्रुटियां तथा हिमित वीर्य स्ट्रा का पिघलना • एआई असफलता के आम कारणों पर विचार-विमर्श • गर्भाधान की उचित तकनीक एवं एआई में अप्रतिता (एसेप्सिस) का महत्व • तरल नाइट्रोजन कंटेनर को हैंडल करने तथा फील्ड स्तर पर हिमित वीर्य के परिवहन में होने वाली सामान्य गलतियां
--	---	--	---

*एआई कार्यक्रम - कुल अवधि 120 दिन, प्रायोजक संगठन में 75 दिनों के व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित

प्रशिक्षण के लिए सेवा शुल्क 14% की दर से लिया जाएगा । यदि सेवा कर में संशोधन किया जाता है तो तदनुसार नया शुल्क लागू होगा ।

कार्यक्रम 2015-16
(01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016)

कार्यक्रम का शीर्षक	एनडीपी-1 के अंतर्गत कृषक अभिमुखन कार्यक्रम	एनडीपी-1 के अंतर्गत कृषक प्रवेश कार्यक्रम	डीसीएस सचिवों का प्रशिक्षण (नई समितियां)
कार्यक्रम का उद्देश्य	<p>निम्नलिखित के अंतर्गत प्रतिभागियों को सक्षम बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्वच्छ तथा पारदर्शी दूध प्राप्ति प्रचालनों, प्रशिक्षित डीसीएस कर्मचारी एवं सक्रिय प्रबंध समिति सदस्यों की आवश्यकताओं की सराहना तथा उत्पादक को प्रदत्त मूल्य की व्यापक समझ • प्रभावी प्रचालनों के लिए डीसीएस स्तर पर सदस्य भागीदारी एवं महिला सदस्यों की प्रतिभागिता का महत्व • दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित प्रजनन, आहार, स्वास्थ्य की देखभाल तथा पशुओं का रख-रखाव के बारे में बताना • फार्म तथा डीसीएस स्तर पर स्वच्छ दूध उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाना 	<p>निम्नलिखित के अंतर्गत प्रतिभागियों को सक्षम बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> • आधुनिक डेरी फार्म प्रबंधन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना • दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित प्रजनन, आहार, स्वास्थ्य की देखभाल एवं पशुओं का रखरखाव के बारे में बताना • फार्म एवं डीसीएस स्तर पर सीएमपी प्रक्रियाओं को अपनाना • प्रभावी प्रचालनों के लिए डीसीएस स्तर पर सदस्य सहभागिता एवं महिला सदस्यों की प्रतिभागिता का महत्व 	<p>निम्नलिखित के अंतर्गत प्रतिभागियों को सक्षम बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> • दूध प्राप्ति बढ़ाने एवं समितियों का विकास करने के परिप्रेक्ष्य में डीसीएस सचिव की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को समझना • दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए उचित प्रजनन, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल एवं पशुओं का रखरखाव के बारे में समझना एवं बताना • सार्वजनिक एवं निजी स्वच्छता के महत्व को समझना • स्वच्छ दूध संकलन प्रक्रियाओं को समझना एवं अपनाना • सहकारी डेरी उद्योग में वर्तमान परिदृश्य एवं विकास के बारे में बताना तथा सहकारिताओं के प्रतिस्पर्धी बनने की आवश्यकता

			की सराहना
अवधि	2 दिन	2 दिन	20 दिन
लक्ष्य प्रतिभागी	डेरी सहकारी समिति के सदस्य	दूध उत्पादक/एमसीएम/डीसीएस अध्यक्ष	ग्रामीण डीसीएस का नया सचिव
कार्यक्रम शुल्क	एनडीपी-1 के अंतर्गत	एनडीपी-1 के अंतर्गत	एनडीपी-1 के अंतर्गत
पाठ्यक्रम विषय-वस्तु का संक्षिप्त विवरण	<ul style="list-style-type: none"> डेरी सहकारिताओं पर संक्षिप्त विवरण एवं एनडीडीबी की भूमिका; 	<ul style="list-style-type: none"> डेरी सहकारिताओं पर संक्षिप्त विवरण एवं एनडीडीबी की भूमिका; 	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय डेरी योजना डीसीएस एवं डेरी संयंत्र पर गुणवत्ता आश्वासन

कार्यक्रम 2015-16

(01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016)

कार्यक्रम का शीर्षक	प्रबंध समिति सदस्य (एमसीएम) अभिमुखन कार्यक्रम	डीसीएस सचिवों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण
कार्यक्रम का उद्देश्य	निम्नलिखित के लिए प्रतिभागियों को सक्षम बनाना <ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण स्तर पर संस्थागत निर्माण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में डीसीएस प्रबंध समिति सदस्यों का क्षमता निर्माण ताकि सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझें तथा डीसीएस जीवंत व्यवसाय उद्यम के रूप में संचालित हो। एक आर्थिक उद्यम में मूल्य, सुशासन और व्यावसायिक प्रबंधन के महत्व को पहचानना अपने डीसीएस की क्षमता और कमजोरियों को पहचानना तथा अपने व्यवसाय को लाभ पर चलाने के लिए योजना बनाना 	निम्नलिखित के लिए प्रतिभागियों को सक्षम बनाना <ul style="list-style-type: none"> समिति के रोजमर्रा के कार्यों को दल एवं प्रभावी तरीके से संचालित करना तथा जिससे समिति के कार्य कलापों को जीवनक्षम व्यवसाय इकाई के रूप में चलाना सुनिश्चित किया जा सके। डीसीएस का प्रभावी प्रबंधन कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार करना
अवधि	3/2/1 दिन	<ul style="list-style-type: none"> 2 दिन
लक्ष्य प्रतिभागी	नए प्रबंध समिति सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> गांव डीसीएस के सचिव
कार्यक्रम शुल्क	एनडीपी-1 के अंतर्गत	<ul style="list-style-type: none"> एनडीपी-1 के अंतर्गत
पाठ्यक्रम विषय-वस्तु का संक्षिप्त विवरण	<ul style="list-style-type: none"> आणंद पद्धति सहकारिताएं, एनडीडीबी, दूध संघों एवं के एमएफ के लक्ष्य एवं उद्देश्य, सहकार, सहकार के सिद्धांत, सहकारिता अधिनियम एवं नियम डीसीएस उप-नियमों का परिचय 	<ul style="list-style-type: none"> डेरी उपकरणों (एएमसीयू, डीपीएमसीयू, बीएमसी इत्यादि) को रख-रखाव एवं प्रबंधन गुणवत्ता प्रबंधन, लेखा (संशोधन) उत्पादक संबंध प्रबंधन

	<ul style="list-style-type: none"> • संघों, द्वारा प्रदत्त तकनीकी इनपुट की उपयोगिता डीसीएस उप-नियम, एमसीएम बैठकों और जीबीएम • दूध, दूध का संघटन तथा वर्तमान परिदृश्य में स्वच्छ दूध उत्पादन की आवश्यकता और उसका महत्व • डीसीएस में बही तथा रजिस्टर, डीसीएस के लाभ का स्रोत । • आहार एवं चारा, पशु प्रबंधन, स्वास्थ्य, देखभाल इत्यादि • डेरी यूनिट, चारा प्रदर्शन प्लॉट का दौरा 	<ul style="list-style-type: none"> • रोजमर्रा की समस्याओं पर विचार-विमर्श • डीसीएस-दूध संघ संबंध पर विचार-विमर्श और फील्ड दौरे •
--	---	---

सामान्य सूचनाएं

चित्र

- कार्यक्रम में एक बैच में न्यूनतम 15 तथा अधिकतम 25 प्रतिभागी शामिल होते हैं ।
- 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर स्लॉट आवंटित किए जाते हैं ।
- निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क में शिक्षण शुल्क, पाठ्य सामग्री, भोजन एवं आवस, फील्ड दौरे के लिए परिवहन तथा सरकार की लागू दरों पर सेवा कर शामिल हैं ।
- कार्यक्रम शुल्क संशोधन के अधीन है तथा संशोधित दरें इसके संशोधन की तिथि से लागू की जाएंगी ।
- प्रशिक्षण शुल्क हेतु डिमांड ड्राफ्ट या सममूल्य चेक "राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड", इरोड के नाम देय होना चाहिए तथा इसे गैर एनडीपी-। कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम के शुरू होने से पहले पहुंचना अनिवार्य है ।
- नामांकन कार्यक्रम के शुरू होने से कम से कम एक महीने पहले भेजा जाना चाहिए ।
- यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो किसी भी कार्यक्रम स्लॉट को रद्द/स्थगित किया जा सकता है ।
- नामांकन रद्द करने की सूचना उपर्युक्त कार्यक्रम के शुरू होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले भेजी जानी चाहिए ।

- किसी उम्मीदवार को फैमिली आवास उपलब्ध नहीं किया जाएगा ।